कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रायबरेली।
आदेश संख्या 96/2020 दिनांक 09.07.2020

आज दिनांक 09.07.2020 को सायं लगभग 9 बजे सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, रायबरेली के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह भदौरिया एडवोकेट एवं महामंत्री श्री शशिकान्त शुक्ल एडवोकेट द्वारा मोबाइल से अवगत कराया गया कि रायबरेली सिविल कोर्ट के अधिवक्ता श्री पंचानन मिश्र जो प्रतिदिन न्यायालय आ रहे थे, की कोरोना संकमित होने की पाजिटिव रिपोर्ट होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनके द्वारा दिनांक 10.07.2020 को न्यायालय को बन्द कराकर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को सैनेटाइज कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कोविड–19 कमेटी, जजशिप रायबरेली के द्वारा डा0 अश्वनी चौधरी नोडल अधिकारी कोविड–19, रायबरेली से वार्ता करके अवगत कराया कि श्री पंचानन मिश्र नाम के व्यक्ति के कोरोना–19 परीक्षण की ट्यूनेट टेस्ट की रिपोर्ट जांच के उपरान्त आज दिनांक 09.07.2020 को पाजिटिव प्राप्त हुई है। उनके द्वारा श्री पंचानन मिश्र की उक्त रिपोर्ट को वाट्सअप के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1117/LXXXVII- CPC/ e-Courts दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में कल **दिनांक 10.07.2020** को जनपद न्यायालय रायबरेली के समस्त न्यायालय एवं कार्यालय पूर्णतः बन्द रहेंगे। दिनांक 11.07.2020 को द्वितीय शनिवार व दिनांक 12.07.2020 को रविवार अवकाश के उपरान्त दिनांक 13.07.2020 दिन सोमवार से सभी न्यायालय पूर्ववत खुलेंगे।

जिलाधिकारी, रायबरेली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायबरेली सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को सैनेटाईज कराना सुनिश्चित करें।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

09.7.2020
(अनूप कुमार गोयल)
जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।
09.07.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, रायबरेली।
3- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली।
5- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
6- जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी/फौजदारी),जनपद न्यायालय, रायबरेली।
7- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, रायबरेली।
8- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायबरेली।
9- जिला सूचना अधिकारी, रायबरेली।
10-सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, रायबरेली।

दिनांक : 09.07.2020

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय,
रायबरेली।